

कार्यालय अधिशाषी अभियन्ता जल संसाधन नवनेरा परियोजना खण्ड प्रथम कोटा

email - eenavkota@gmail.com Ph.No.-09414191606 Add.- F-16, Chambal Workshop Colony,
Near Mayur Petrol pump and behind Quality Control WR office, Nayapura, Kota, PIN- 324001

क्रमांक :- अ.अ./जस/नवनेरा/भू.अ./2021/472

दिनांक :- 05.07.2021

श्रीमान् निदेशक
जनसम्पर्क निदेशालय
जयपुर।

विषय :- धारा 21 की जनसुनवाई विज्ञप्ति प्रकाशन बाबत् (प्रति संलग्न)

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत निवेदन हैं कि कालीसिंध नदी पर नवनेरा बैराज परियोजना के निर्माण एवं डूब क्षेत्र में अवाप्त की जाने वाली बांरा जिले की भूमि अवाप्ति की धारा-21 की मांगरोल एवं अन्ता तहसीलो के ग्रामो की भूमि की भूमि अवाप्ति की धारा-21 की जनसुनवाई विज्ञप्ति प्रकाशन बांरा जिले में परिचालित दो दैनिक समाचार पत्रों में न्यूनतम स्थान में नियमानुसार शीघ्र प्रकाशित करवाने का कष्ट करें।

संलग्न- उपरोक्तानुसार।

भवदीय

(प्रदीप कुमार गुप्ता)

अधिशाषी अभियन्ता

जल संसाधन नवनेरा परियोजना

खण्ड प्रथम कोटा

क्रमांक :- अ.अ./जस/नवनेरा/भू.अ./2021/473-80 दिनांक :- 05.07.2021

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित/प्रस्तुत हैं-

1. श्रीमान मुख्य अभियन्ता, जल संसाधन संभाग, कोटा।
2. श्रीमान जिला कलक्टर, जिला बांरा।
3. श्रीमान अधीक्षण अभियन्ता, जल संसाधन वृत्त, कोटा।
4. श्रीमान निदेशक, आई.टी.सेल. कार्यालय मुख्य अभियन्ता, जल संसाधन विभाग, जवाहरलाल नेहरू मार्ग, जयपुर राजस्थान को भेज कर निवेदन हैं कि इस विज्ञप्ति को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करवाने का कष्ट करें।
5. श्रीमान भूमि अवाप्ति अधिकारी, कार्यालय अधीक्षण अभियन्ता, जल संसाधन वृत्त बांरा
6. सहायक अभियन्ता जल संसाधन नवनेरा परियोजना उपखण्ड प्रथम/द्वितीय/तृतीय (खण्ड प्रथम) कोटा।

अधिशाषी अभियन्ता

जल संसाधन नवनेरा परियोजना

खण्ड प्रथम कोटा

कार्यालय भूमि अवाप्ति अधिकारी जल संसाधन विभाग, बारां

क्रमांक :- भू.अवा.अ./ज.सं/भू.अ./2021 | ३१७

दिनांक- २५/६/२०२१

जनसुनवाई विज्ञप्ति

चूँकि निम्नलिखित वर्णित भूमि सार्वजनिक प्रयोजनार्थ अर्थात् कालीसिंध नदी पर नवनेरा बैराज परियोजना के निर्माण एवं डूब क्षेत्र में आने वाली तहसील मांगरोल के ग्राम-कनाडा, सीसवाली, रामपुरिया उर्फ फूलपुरिया, शिवपुरा, भटेड़ी, सोनवा, एवं पिपल्दा तथा तहसील अन्ता के ग्राम-पाटोन्दा, तीखोद, बालदड़ा, रायपुरा, लदवाड़ा एवं नागदा की भूमि अवाप्ति हेतु भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर एवं पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा-19 की घोषणा उप सचिव एवं प्रावै. सहायक वास्ते मुख्य अभियन्ता, जल संसाधन विभाग राजस्थान जयपुर के पत्रांक - 05/भू.अ./ज.सं./2021/3099-3102, दिनांक 03.06.2021 एवं राजस्थान राजपत्र में प्रकाशन दिनांक 23.06.2021 किया जा चुका है। धारा 19 की सूचियों की प्रतियाँ संबंधित ग्राम सेवक/हल्का पटवारी को उपलब्ध करवाकर ग्रामों में चस्पा करवा दी गई है।


भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर एवं पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा-21 के अन्तर्गत अवाप्ताधीन भूमि में हित रखने वाले समस्त व्यक्तियों को निम्नलिखित दिनाकों को व्यक्तिगत जनसुनवाई हेतु सूचित किया जाता है।

क्र०सं०	ग्राम पंचायत	ग्राम का नाम	जनसुनवाई कार्यक्रम		
			दिनांक	समय	स्थान
1	तिसाया	कनाडा	27.07.2021	प्रातः 11:00 से	उपतहसील कार्यालय सीसवाली
2	सीसवाली	सीसवाली	27.07.2021	प्रातः 11:00 से	उपतहसील कार्यालय सीसवाली
3	उदपुरिया	रामपुरिया उर्फ फूलपुरिया, शिवपुरा, भटेड़ी, सोनवा, पिपल्दा	29.07.2021	प्रातः 11:00 से	उपतहसील कार्यालय सीसवाली
तहसील-अन्ता					
1	पाटोन्दा	पाटोन्दा	03.08.2021	प्रातः 11:00 से	तहसील कार्यालय अन्ता
2	बालदड़ा	तीखोद, बालदड़ा	05.08.2021	प्रातः 11:00 से	तहसील कार्यालय अन्ता
3	भोज्याखेड़ी	रायपुरा, लदवाड़ा	05.08.2021	प्रातः 11:00 से	तहसील कार्यालय अन्ता
4	नागदा	नागदा	05.08.2021	प्रातः 11:00 से	तहसील कार्यालय अन्ता

2. नकल जमाबंदी (चालू) एवं खसरा गिरदावरी चौसाला संवत् 2074 से 2077 तक साथ लावें।

3. सूचित हो कि इस सुनवाई की कार्यवाही पश्चात प्रस्तुत किसी दावे/आपत्ति पर विचार नहीं किया जाएगा।

मिथ्या दावे पर धारा-84 के तहत आपके विरुद्ध दण्डात्मक कार्यवाही की जावेगी।



भूमि अवाप्ति अधिकारी
जल संसाधन विभाग बारां

क्रमांक :- भू.अ.वा.अ./ज.सं/भू.अ./2021/278-289

दिनांक- 25/6/20

प्रतिलिपि:- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रस्तुत/प्रेषित है:-

1. श्रीमान जिला कलेक्टर महोदय बारां।
2. अधिभाषी अभियन्ता जल संसाधन नवनेरा परियोजना खण्ड प्रथम, कोटा को प्रेषित कर लेख है कि संबंधित सहायक अभियन्ता को मय वांछित रिकॉर्ड जन सुनवाई में भिजवाने हेतु पाबंद करें।
3. तहसीलदार मांगरोल/अन्ता /नायब तहसीलदार सीसवाली को प्रेषित कर लेख है कि जनसुनवाई में संबंधित हल्का पटवारी/भू अभिलेख निरीक्षक को मय रिकॉर्ड उपस्थिति होने के लिए पाबंद करें।
4. संबंधित ग्राम पंचायत.....
5. कार्यालय प्रति


भूमि अवाप्ति अधिकारी
जल संसाधन विभाग बारां